



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022026-270414
CG-DL-E-23022026-270414

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 2026/फाल्गुन 4, 1947

No. 908]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 2026/PHALGUNA 4, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

का.आ. 952(अ).— केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 215 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क दुर्घटना पीड़ित नकदी-रहित उपचार स्कीम, 2025, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सड़क दुर्घटना पीड़ित नकदी-रहित उपचार (संशोधन) स्कीम, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. सड़क दुर्घटना पीड़ित नकदी-रहित उपचार स्कीम, 2025 में, पैरा 1 के उप-पैरा (1) में, "सड़क दुर्घटना पीड़ित नकदी-रहित उपचार स्कीम" शब्दों के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "प्रधानमंत्री - सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा और सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) स्कीम" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11028/1/2026- एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण:- मूल स्कीम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2015 (अ), तारीख 5 मई, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2026

S.O. 952(E).— In exercise of the powers conferred by section 162 read with sub-section (4) of section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following Scheme, to amend the Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025, namely: —

1. **Short title and commencement** - (1) These Scheme may be called the Cashless Treatment of Road Accident Victims (Amendment) Scheme, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025, in paragraph 1, in sub-paragraph (1), for the words “Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme”, the words, brackets and letters “Prime Minister - Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment (PM-RAHAT) Scheme” shall be substituted.

[F. No. RT-11028/1/2026-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2015(E), dated the 5th May, 2025.